इंतजार — नहीं पहुंचा एक भी निराश्रित, अलाव के टेंडर में अभी और लगेंगे 10 दिन

आंखे बिछाए बैठा है कबाड़ की बस में बना आश्रय स्थल

शीतलहर शुरू, ठंड में असहाय लोगों को राहत नहीं

नवभारत,जबलपुर। शीतलहर शहर में शुरू हो चुकी है और दीनदयाल चौक स्थित आईएसबीटी में नगर निगम द्वारा कबाड़ की बस में बनाया गया आश्रय स्थल अभी तक एक भी निराश्रित, असहाय के वहां पहुंचने की राह देखता नजर आ रहा है।

उधर शहर के कई सार्वजनिक जगहों पर अलाव की लकड़ी की व्यवस्था के लिए टैंडर अभी तक पूरा नहीं किया गया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अलाव की लकड़ी का टैंडर पूरा होने में अभी 8 से 10 दिन और लगेंगे।

मतलब असहाय, निराश्रित लोगों को अलाव से अभी करीब 10 दिन और परेशानी में काटने होंगे।

हालांकि उद्यान विभाग के जिम्मेदारों ने ये कहा है कि टैंडर भले ही नहीं हुआ हो लेकिन शहर के सभी सार्वजनिक स्थलों में लकड़ी मुहैया कराई जा रही है लेकिन जमीनी हकीकत में निराश्रित, असहाय लोग ठंड में शाम ढलते ही ठिठुरते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों पहले धनवंतरी नगर चौक में ठंड की वजह से एक असहाय 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत भी हो चुकी है।

3 साल पहले बस में बनाया गया था आश्रय स्थल

जानकारी के अनुसार करीब तीन साल पहले तत्कालीन निगमायुक्त स्वप्निल वानखेड़े के कार्यकाल के समय पुरानी कबाड़ की एक बस को आश्रय स्थल के रूप में तैयार किया गया था और ये बस आईएसबीटी में खड़ी कराई गई थी जिसमें ठंड के समय निराश्रित लोग जाकर एक आश्रय स्थल में रहकर गुजर बसर कर सकें और ठंड से बच सकें। जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के सीईओ सचिन विश्वकर्मा ने नवभारत को बताया कि नगर निगम सीमा अंतर्गत शीत ऋतु के प्रभाव से बचाव के लिए शहरी बेघरों, फुटपाथ पर रहने वाले आवासहीनों और निराश्रित जनों को पिछले कई सालों से ठंड से बचाने नगर निगम के आश्रय स्थलों में ठहराने का कार्य कराया जाता रहा है।

इनका कहना है

अभी अलाव की लकड़ी के टैंडर की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने में 8 से 10 दिन और लगेंगे। फिलहाल अभी ठंड से राहत देने निगम के पास मौजूद पुरानी लकड़ियों को चीरकर अलग-अलग हिस्सा सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलाने के लिए भिजवाया जा रहा है।

आलोक शुक्ला
उद्यान प्रभारी, नगर निगम।

जब शहर के रैन बसेरा, आश्रय स्थल निरारित लोगों से फुल हो जाते हैं तो फिर दीनदयाल स्थित आईएसबीटी में मौजूद कबाड़ की एक बस में बनाए गए आश्रय स्थल का उपयोग किया जाता है। अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है कि इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया हो।

सचिन विश्वकर्मा
सीईओ, जेसीटीएसएल जबलपुर

दमोह रोड चौड़ीकरण को लेकर गडकरी को दिया ज्ञापन

बायपास,रोड सेंटर से माप निकालने बोरिया वासियों की मांग

नवभारत, बेलखाडू (जबलपुर)। आगामी दिनों में एनएचएआई द्वारा जबलपुर कटंगी बायपास से लेकर दमोह तक नवीन फोरलेन सड़क निर्माण कार्य होना है। इस ह॥ 37 सड़क के निर्माण की चर्चा तीन साल से गांव में व्याप्त है वहीं सड़क के चौड़ीकरण को लेकर 80 फिट से 150 फिट तक माप की अटकलें भी चर्चाओं में है। स्पष्ट माप घोषित नहीं होने से यहां सड़क किनारे के मकानों के निर्माण कार्य ग्रामीण दहशत में नहीं करा पा रहे।

दूसरी ओर एनएचएआई के इस निर्माण प्रोजेक्ट का डिजिटल नक्शा गांव में खूब देखा जा रहा है जिसमें अन्य गांव के साथ ग्राम बोरिया के एक साइड के सभी घरों की बस्ती दमोह सड़क निर्माण दौरान पूरी तरह ध्वस्त होती प्रतीत हो रही है जिसको लेकर बोरिया के ग्रामीणों में दहशत एवं निर्माण के प्रति आक्रोश व्याप्त है।

ग्रामीणों का सड़क निर्माण माप को लेकर कहना है कि बोरिया ग्राम में सड़क निर्माण बीच सेंटर से समान माप लेकर किया जाए, साथ ही बोरिया के बाहर से बायपास निकाला जाए ताकि बोरिया गांव उजड़ने से बचाया जा सके। साथ ही इस आशय से संबंधित मौके पर निरीक्षण कराने की मांग भी की है। इस आशय से संबंधित एक मांग पत्र केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर कार्यालय में जाकर बोरिया ग्राम के ऋषि भान सिंह ठाकुर के नेतृत्व में विनय साहू, विकास राजपूत, सत्यम राजपूत, बंटू राजपूत, साहिल राजपूत, मनीष सिंह, निशांत कुमार आदि ने सौंपते हुए चर्चा की। जिस पर गडकरी जी ने बोरिया वासियों को आश्वासन दिया कि जनहित को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य किया जाएगा। सभी ने जबलपुर के भेड़ाघाट की सीनरी भी भेंट की।

पीएचसी गोसलपुर में दो साल से फार्मासिस्ट का पद खाली

अप्रशिक्षित लोग बांट रहे दवाइयां, मरीजों की जान से खिलवाड़

सिहोरा, नवभारत। विकासखंड के अंतर्गत संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोसलपुर में पिछले दो सालों से फार्मासिस्ट का पद खाली है आपको बता दें की यहां पर फार्मासिस्ट के पद पर पदस्थ रही अर्चना विश्वकर्मा का जब से ट्रांसफर हुआ है तब से इस पीएचसी में फार्मासिस्ट का पद रिक्त पड़ा हुआ है ऐसी स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पीएचसी के अप्रशिक्षित स्टाफ से दवाइयां बंटवाई जाती हैं जिससे अनेकों बार लापरवाही के किस्से सुनने व देखने को मिलते है गौरतलब है की पीएचसी गोसलपुर में सिहोरा एवं मझौली तहसील के लगभग 90 गांव के मरीज स्वास्थ्य सेवा पाने के लिए आश्रित है जहां पर बड़ी संख्या में प्रतिदिन मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं परंतु यहां पर फार्मासिस्ट का पद रिक्त होने से दवाई के वितरण व्यवस्था में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है इस आशय की अनेकों बार शिकायत स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से की गई परंतु अभी तक समस्या का निदान नहीं हो पाया इस संबंध में क्षेत्र के अनिल जैन दीपक पटैल अजीत मिश्रा दिलीप साहू महेश तिवारी मनोज साहू करण सिंह सेंगर अनिल सराफ सराफ का कहना है की अगर शीघ्र पीएचसी गोसलपुर में फार्मासिस्ट का रिक्त पद नहीं भरा जाता तो जल्द ही इस मामले की शिकायत जिले के कलेक्टर से की जावेगी वही पीएचसी के जिम्मेदार चिकित्सकों का कहना है की अनेकों बार जिला कार्यालय उक्त पद की पूर्ति हेतु पत्राचार किया जा चुका है जन आरोग्य समिति के सदस्य धर्मेंद्र सिंह राजपूत हेमचंद असाटी ने बताया की रिक्त पद की पूर्ति हेतु अनेकोबार जन आरोग्य समिति की बैठक में संकल्प पारित कर वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा चुका है।

इनका कहना है

पीएचसी गोसलपुर में फार्मासिस्ट केरिक्त पद की पूर्ति हेतु जिला कार्यालय पत्र भेजा जा चुका है

डॉ.अर्शिया खान
सीबीबीएमओ सिहोरा

शुक्ला वेयर हाउस में धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ

सिहोरा, नवभारत। धान खरीदी केंद्र का सोमवार को विधिवत शुभारंभ किया गया, जहां सेवा सहकारी समिति सिहोरा द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। खरीदी केंद्र को किसानों की सुविधा के अनुरूप तैयार किया गया है। तौल मशीन, स्टैकिंग, भंडारण व्यवस्था, पंजीयन, ट्रॉली व्यवस्था से लेकर टोकन प्रबंधन तक सभी व्यवस्थाओं का मौके पर निरीक्षण किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में वेयरहाउस संचालक आशीष वीरू शुक्ला, मंडल अध्यक्ष रामकृष्ण पटेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा, खरीदी प्रभारी खगेश पटेल, ऑपरेटर सचिन यादव, समिति प्रबंधक गौरव शुक्ला मौजूद रहे। वहीं राजेंद्र साहू, रवि तिवारी, आशीष रजक, दुर्गा झारिया, विक्की तिवारी, पुनीत बर्मन सहित समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।

साहब..पुलिस ने झूठा प्रकरण दर्ज किया है, निष्पक्ष जांच हो

जबलपुर। नोटिस तालीम कराने पहुंचे प्रधान आरक्षक को अपशब्द कहने और अभद्रता करने के मामले में गोरखपुर थाने में दर्ज हुई एफआईआर को लेकर अजीत सिंह आनंद उर्फ मंगे सरदार पिता स्व. भगत सिंह आनंद 53 वर्ष निवासी आदर्श नगर ग्वारीघाट सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच शिकायत की और आरोप लगाते हुए बताया कि उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हुई है। मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएं। शिकायत में उन्होंने बताया कि संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में श्वानों की मौत के मामले को लेकर शिकायतें की थी। एक रीट याचिका उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इसकी के चलते उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दज की गई है।

महिलाओं की सुरक्षा हेतु जरूरी है जागरुकता

जबलपुर। वर्तमान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कानून हैं परंतु जागरूकता के अभाव वे इन कानूनों का समुचित लाभ नहीं ले पातीं। अत: विधिक जागरूकता संगोष्ठियों और शिविरों द्वारा उन्हें उनके अधिकारों और कानूनों के समुचित उपयोग की जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना सच्ची समाज सेवा है। उक्त उद्गार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति वर्मा ने वॉक एंड क्लीन परिवार द्वारा गढ़ा में आयोजित महिला विधिक जागरूकता शिविर में व्यक्त किए। विशिष्ट अतिथि व सीनियर साइकोलॉजिस्ट डॉ. श्रद्धा तिवारी ने पीड़ित और अवसाद ग्रस्त महिलाओं को पारिवारिक संबल की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम अध्यक्ष एड.नवीन शुक्ला ने महिलाओं को परिवार और समाज की धुरी बताया।

जब आई ड्रॉप लेकर निगम मुख्यालय जा पहुंचे प्रदर्शनकारी

नवभारत,जबलपुर। नगर निगम मुख्यालय में सोमवार को अनोखा नजारा नजर आया जहां विरोध स्वरूप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने हाथों में आई ड्रॉप लेकर पहुंचे। ये नजारा जिसने देख उसने कहा कि भैया ये नगर निगम है कोई दवाई की दुकान नहीं है। जानकारी के अनुसार शहर के अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम और कमर्शियल बिल्डिंगों में फर्जी एनओसी के आरोपों के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि शहर के अधिक अस्पतालों के द्वारा फर्जी एनओसी के तहत फायर सेफ्टी का बताए जा रहे हैं जिससे मरीजों की सुरक्षा और जान से खिलवाड़ हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने सोमवार को निगमायुक्त के नाम नगर निगम के अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा और मांग की कि नगर निगम का अमला जमीनी स्तर पर अस्पतालों में जाकर अग्निकांड की मॉकड्रिल करे जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

लेखा बाई ठाकुर का निधन

बेलखाडू। ग्राम मोहास रामबाग निवासी गजराज सिंह, वीरेन्द्र सिंह, बहादुर सिंह की मां श्रीमती लेखा बाई ठाकुर (95 वर्ष) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार बेलखाडू में हुआ।

मध्यप्रदेश शासन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

कार्यालय कार्यपालन यंत्री (वि./यां.), संभाग क्रमांक-2, बरगीनगर, जबलपुर (म.प्र.)-482056

E-mail ID : eeemdv2bargidam@gmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना वास्ते प्रकाशन

निम्न कार्य की ऑनलाईन निविदा प्रतिशत दर (अपेडिक्स 2.10) ई-प्रोक्यूरमेंट सिस्टम प्रोर्टल www.mptenders.gov.in पर जारी की जा रही है। निविदा की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है-

निविदा क्र.	ई. निविदा क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित राशि (रू.में)	धरोहर राशि (रू.में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदाकार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
116/तक. 2025-26 दिनांक 01/12/2025 (प्रथम आमंत्रण)	2025-NVDA-466056_1	बरगी हिल्स के कॉलोनी में जल आवासीय प्रदाय में लगी 6" डाया सी. आई. पाईप का कार्य	83,646.00 (रूपये तेरासी छःसौ छयालीस) मात्र	1673.00 (रू. एक हजार छः सौ तेहत्तर) मात्र	1000.00 (रू. एक हजार)मात्र	प्रमुख अभियंता (लो.नि.वि.) भोपाल में पंजीकृत।	30 दिन (अनुबंध की तिथि से)
117/तक. 2025-26 दिनांक 01/12/2025 (प्रथम आमंत्रण)	2025-NVDA-466067_1	रा.अ.बा.लो. सा. परि. के बांध के आर. सी. गेट क्रमांक 21 सिविल गेट के बीच ट्यूबलर पोल की प्रकाश व्यवस्था तथा रखरखाव का कार्य।	2,19,946.00 रूपये (दो लाख उन्नीस हजार नौ सौ छयालीस) मात्र	4399.00 (रू. चार हजार तीन सौ निन्यानवे) मात्र	2000.00 (रू. दो हजार)मात्र	1. प्रमुख अभियंता (लो.नि.वि.) भोपाल में पंजीकृत। 2. म.प्र. मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी "अ" श्रेणी का लाइसेंस।	30 दिन (अनुबंध की तिथि से)
118/तक. 2025-26 दिनांक 01/12/2025 (प्रथम आमंत्रण)	2025-NVDA-466076_1	बरगी हिल्स कालोनी के अंतर्गत पुरानी जी. टाईप कालोनी में जल प्रदाय हेतु लगी हुई 2" डाया जी.आई. पाईप लाईन तथा आई. टी. पार्क के सामने 4" डाया जी.आई. पाईप लाईन का सुधार कार्य।	34,609.00 (रूपये चौंतीस हजार छः सौ नौ) मात्र	692.00 (रू. छः सौ बानवे) मात्र	1000.00 (रू. एक हजार)मात्र	प्रमुख अभियंता (लो.नि.वि.) भोपाल में पंजीकृत।	30 दिन (अनुबंध की तिथि से)
119/तक. 2025-26 दिनांक 01/12/2025 (प्रथम आमंत्रण)	2025-NVDA-466079	रा.अ. बा.लो. सा. परि. के निर्माणाधीन के बहुउद्देशीय परियोजना के निरीक्षण कार्य हेतु एक पिकअप डबल केबिन (केम्पर) वाहन एक वर्ष लिये किराये पर उपलब्ध कराने हेतु।	3,35,160.00 (रूपये तीन लाख पैतीस हजार एक सौ साठ) मात्र	6703.00 (रू. छः हजार सात सौ तीन) मात्र	2000.00 (रू. दो हजार)मात्र	प्रमुख अभियंता (लो.नि.वि.) भोपाल में पंजीकृत।	12 दिन (अनुबंध की तिथि से)
120/तक. 2025-26 दिनांक 01/12/2025 (प्रथम आमंत्रण)	2025-NVDA-466088_1	बरगी नगर के पंप हाऊस क्रमांक 3 हेतु एच. एस. सी. मोटर पंप की स्थापना का कार्य।	5,27,034.00 (रूपये पांच लाख सत्ताईस हजार चौतीस) मात्र	10541.00 (रू. दस हजार पांच सौ इक्तालीस) मात्र	2000.00 (रू. दो हजार)मात्र	प्रमुख अभियंता (लो.नि.वि.) भोपाल में पंजीकृत।	30 दिन (अनुबंध की तिथि से)
		कुल योग रू.	12,00,395.00				

1. निविदा प्रपत्र क्रय करने की तिथि अंतिम : 26/12/2025, 17:30 तक (केवल ऑनलाईन)। 2. प्राइज बीड जमा करने की तिथि अंतिम : 26/12/2025, 17:30 तक (केवल ऑनलाईन)। 3. निविदा की धरोहर राशि खुलने की तिथि : 29/12/2025, 10:30 से 29/12/2025, 17:30 तक (केवल ऑनलाईन)। 4. प्राइज बीड खुलने की तिथि : 29/12/2025,10:31 से 29/12/2025 17:30 तक (केवल ऑनलाईन)। 5. निविदा प्रपत्र को उपरोक्त वेबसाईट पर केवल ऑनलाईन क्रय किया जा सकता है। ऑन लाइन पर भुगतान डेबिट/कैश कार्ड या इन्टरनेट बैंकिंग अकाउण्ट्स के माध्यम से किया जा सकता है। 6. निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.mptenders.gov.in का अवलोकन करें।

(शैलेन्द्र राठौर) कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास (वि./यॉं.) संभाग क्रमांक-2 बरगीनगर जबलपुर(म.प्र.)

जी-22419/25 — **बच्चों की मुस्कान है अनमोल, इसे सुरक्षित रखें हर हाल**

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर (म.प्र.)

-निविदा सूचना-

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptender.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंडर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	लागत राशि एवं समयावधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	Tender ID 2025_UAD_466275_1, PRO-605 Date 08/12/2025	संभाग क्र. 01 गढ़ा के अंतर्गत आने वाले शाही तालाब क्षेत्र में घाट निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य।	5.90 माह	2000/-	24/12/2025
			02 लाख	5900/-	

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन की वेबसाईट https://mptender.gov.in पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, जबलपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला-जबलपुर

क्रमांक 26/01/अ-82/2024-25 — जबलपुर दिनांक 28/10/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लव भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12/11/2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार कुण्डम विकासखण्ड में स्थित हिरन मध्य सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य के डूब क्षेत्र में आंशिक रूप से प्रभावित बघराजी से कुंडम मार्ग के एवज में बदुआ कुसुआडबरा, कल्याणपुर, करनपुरा मार्ग में प्रभावित ग्राम कुसुआडबरा प.ह.न. 0036 रा.नि.मं. कुंडम जिला जबलपुर के कृषकों से भूमि क्रय की जा रही है।

ग्रामः कुसुआडबरा

स. क्र.	कृषक का नाम पिता/ पति का नाम	भूमि का विवरण		क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा है	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	रिमार्क
		खसरा	रकबा हे.			
1	2	3	4	5	6	7
1.	पतिराम, तुलसीराम द्रोपबाई, तुलसा बाई आ.स्व. सूखा, कतिया बाई पति सुन्दर सिंह सुरेश, सुरतिया बाई पिता सुन्दर, बोडा वल्दन माहू, हीरालाल वल्द बल्ली सिंह भदैया, फागू पिता हिरौवा, नन्हीं बाई पति पिता लामू	1	2.07	0.32	बघराजी से कुंडम मार्ग हेतु	
2.	उजियार पिता हजारी	2	0.80	0.14	बघराजी से कुंडम मार्ग हेतु	
3.	फूल बाई बेवा जेठू सिंह किस्त्री बाई, पिता जेठू सिंह केश लाल पिता जेठू सिंह, बीरो बाई पिता जेठू सिंह	3	0.65	0.10	बघराजी से कुंडम मार्ग हेतु	
4.	फूला बाई बेवा रामलाल, मैकी बाई पिता रामलाल, सीमा बाई पिता रामलाल, सुहाग बाई पिता रामलाल, सरोज बाई पिता रामलाल	4	0.65	0.10	बघराजी से कुंडम मार्ग हेतु	
5.	कुवर सिंह पिता दल सिंह	8	0.70	0.05	बघराजी से कुंडम मार्ग हेतु	
	कुल		4.87	0.71	-	

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कुण्डम / जबलपुर कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग (पचपेढ़ी) सिविल लाईन, जबलपुर (म.प्र.) कार्यालय में भी देखी जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(राघवेंद्र सिंह, IAS)
कलेक्टर जबलपुर एवं पदेन अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला-जबलपुर (म.प्र.)

जी-22446/25 — **स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता**

कार्यालय नगर परिषद पाटन, जिला जबलपुर (म.प्र.)

फोन नं. - 07621-220435 ईमेल - cmopatan@mpurban.gov.in

क्र. 1065/PWD/NP/2025 — पाटन, दिनांक - 06.12.2025

//ई-निविदा आमंत्रण सूचना//

एतद् द्वारा सूचित लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत सक्षम श्रेणी के पंजीयक कृत ठेकेदार/फर्म से अधोलिखितत विवरण अनुसार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के दिनांक 02 अगस्त 2021 से प्रभावशील प्रचलित आई.एस.एस.आर. के आधार पर कम/अधिक प्रतिशत दर पर ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि (रू. में)	धरोहर राशि (रू. में)	निविदा फार्म शुल्क	श्रेणी	समयावधि	क्र.
1	2	3	4	5	6	7	8
2025_UAD _466534_1	वार्ड क्रं. 01 स्थित हनुमान मंदिर के पीछे सामुदायिक भवन मरम्मत कार्य	6,53,553/-	6,600/-	2,000/-	New PWD Reg.	2 माह	1
2025_UAD _466536_1	वार्ड क्रं. 03 में निर्मित सामुदायिक भवन के ऊपर टीनशेड़ निर्माण कार्य	3,28,179/-	3,300/-	2,000/-	New PWD Reg.	2 माह	2
2025_UAD _466537_1	वार्ड क्रं. 04 में शंकर जी मंदिर के पास चबूतरा निर्माण कार्य	1,93,968/-	3,900/-	1,000/-	New PWD Reg.	2 माह	3
2025_UAD _466538_1	वार्ड क्रं. 02 में गणेश मंदिर के पास रंगमंच चबूतरा निर्माण कार्य	1,93,911/-	3,900/-	1,000/-	New PWD Reg.	2 माह	4
2025_UAD _466539_1	वार्ड क्रं. 03 में टीनशेड़ एवं चबूतरा निर्माण कार्य	1,61,529/-	3,300/-	1,000/-	New PWD Reg.	2 माह	5

शर्तें 1- निविदा वेबसाईट **https: www.mptenders.gov.in** के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगी।
2- ऑनलाईन निविदा प्रपत्र **08.12.2025 से 27.12.2025 सायं 17.30 बजे** तक खरीदे जा सकेंगे।
3- ऑनलाईन बिड सबमिट करने की **अंतिम तिथि 27.12.2025 सांय 17.30 बजे** तक हैं।
4- अमानत राशि, हार्ड कॉपी केवल ऑनलाईन मान्य किया जावेगा। **निविदा दिनांक 29.12.2025** को **सांय 11.00 बजे** से खोली जावेगी।
5- टेण्डर फार्म-ए में ठेकेदार को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा -
(अ) अमानत राशि (EMD) (ब) निर्धारित शपथ पत्र (Affidavit) नवीन प्ररूप अनुसार
(स) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र। (द) पेन नम्बर एवं जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन
6- टेण्डर फार्म एवं NIT के अनुसार **"अन्य टेक्नीकल बिड दस्तावेज"**।
7- निविदा के समस्त अधिकार नगर परिषद पाटन के पास सुरक्षित होंगे।
8- निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार नगर परिषद पाटन के पास सुरक्षित रहेगा।
9- सशर्त निविदा स्वीकर नहीं की जावेगी।
10- कार्य की गुणवत्ता सर्वोपरी होगी एवं कार्य समय सीमा पर पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियमानुसार विलंब कार्यवाही नगर परिषद द्वारा की जावेगी।
11- ठेकेदार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं शासन के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
12- कार्य पर लगने वाली समस्त सामग्री पूर्ण रूप मानक स्तर की होगी इस संबंध में अंतिम निर्णय मुख्य नगर पालिका अधिकारी के अधीन होगा।
13- निविदा में जी.एस.टी. छोड़कर समस्त करों की कटौती नियमानुसार की जावेगी एवं प्रत्येक देयक के साथ जी.एस.टी. का भुगतान तत समय प्रचलित दर से किया जावेगा।
14- निविदाकार को दर स्वीकृति उपरांत जिला श्रमपदाधिकारी के पास श्रम आयुक्त के संविदा श्रमिक (विनिमय एव समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रारूप-05 तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ठेकेदार के उक्त पंजीयन निकाय में जमा कराकर अनुबंध संपादित किया जावेगा। पंजीयन निर्धारित अवधि में जमा न होने पर ठेका निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।
15- निविदा प्रपत्र अनुबंध का एक भाग होगा एवं ऐसी अन्य समस्त नियम एवं शर्तें तथा किसी भी विवाद की स्थिति में जो की उल्लेखित नहीं है के संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश/दिशा निर्देश अंतिम एवं मान्य होंगे।
16- निविदा प्रपत्र खरीदने के पूर्व ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण (जहां कार्य होना है) अनिवार्य रूप से करना होगा। कोई भी विवाद/अन्यथा स्थिति होने पर विभाग की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
17- अतिरिक्त जानकारी वेबसाईट **https: www.mptenders.gov.in** पर टेण्डर डाक्युमेंट पर देखी जा सकती हैं या नगर परिषद पाटन कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती हैं।

नोट/अन्य शर्तें -(1) निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में केवल ऑनलाईन संशोधन किया जावेगा, समाचार पत्रों में नहीं।
(2) निविदाकार को ई.पी.एफ. का पंजीयन प्रमाण देना अनिवार्य होगा।
(3) निविदाकार लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण दर स्वीकृति उपरांत देना अनिवार्य होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।

आचार्य जगेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
नगर परिषद पाटन जिला जबलपुर

श्रीमती जयश्री चौहान
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पाटन जिला जबलपुर